



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248551
CG-DL-E-05092023-248551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]
No. 512]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2023/भाद्र 14, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2023/BHADRA 14, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2023

सं. 52/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 653(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्रम संख्या 460 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"460.	8446, 8448	टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग के लिए (पुराने और उपयोग किए गए से भिन्न) निम्नलिखित माल, अर्थात् :-		-	-

		(i) शटल रहित रेपियर लूमस [650 मीटर प्रति मिनट से ऊपर];	कुछ नहीं		
		(ii) शटल रहित वॉटरजेट लूमस [800 मीटर प्रति मिनट से ऊपर];	कुछ नहीं	-	-
		(iii) शटल रहित एयरजेट लूमस [1000 मीटर प्रति मिनट से ऊपर];	कुछ नहीं	-	-
		(iv) शटल रहित लूमस के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले पुर्जे और घटक:	कुछ नहीं	-	9”.
		बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कुछ भी 31 मार्च, 2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा।			

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/44/2023-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को, सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2023—सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 557(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 5th September, 2023

No. 52/2023-Customs

G.S.R 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, for S.No. 460 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“460.	8446, 8448	The following goods (other than old and used) for use in the textile industry, namely: -			
		(i) Shuttleless Rapier Looms [above 650 meters per minute];	Nil	-	-
		(ii) Shuttleless Waterjet Looms [above 800 meters per minute];	Nil	-	-
		(iii) Shuttleless Airjet Looms [above 1000 meters per minute];	Nil	-	-

		(iv) Parts and components for use in manufacturing of shuttleless looms Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after 31 st March, 2025.	Nil	-	9”.
--	--	--	-----	---	-----

[F. No. CBIC-190354/44/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 46/2023-Customs, dated the 26th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 557(E), dated the 26th July, 2023.